GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Transport Department Gorakhpur RTO

FORM 23

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No	: UP53FB9737	Registration Date	: 31-Oct-2024
Description of Vehicle	: M-CYCLE/SCOOTER	Purpose For Printing RC	:NEW
Dealer's Name & Address	: NAVYA MOTORS, ARAZI NO-930(KA) NH-28, NAUSARH, GORAKHPUR, , , 188-273001		
Owner Name	: RANDHIR RAO	Son/wife/daughter of	: JAWAHAR RAO
Full Address: (Permanent)	: DWARIKA, MUSHARI, , DEORIA, UTTAR PRADESH-274408		
Full Address: (Temporary)	: SOUTH OF KAMALA MARRIAGE HALL, RANIBAG BARGO, , GORAKHPUR-UTTAR PRADESH-273016		
Fitness UpTo	: 30-Oct-2039	Owner Serial No	: 1

Detailed Description

Class of Vehicle	: M-CYCLE/SCOOTER	Link Vehicle No	:
Ownership	: INDIVIDUAL	Norms	: BHARAT STAGE VI
Maker's Name	: HERO MOTOCORP LTD		
Front HSRP No	: AA1038758160	Rear HSRP No	: AA1038726044
Type of Body	: SOLO WITH PILLION	Month/Year of Manuf.	: 10/2024
No of Cylinders	: 1	Chassis No	: MBLJAW404R9K00922
Engine No	: JA07AMR9J15745	Fuel	: PETROL
Horse Power(BHP)	: 10.72	Cubic Capacity	: 124.70
Maker's Classification	: SUPER SPLENDOR XTEC D R	Wheel base	: 1267
Seating Cap(in all)	: 2	Standing Cap	: 0
Sleeper Cap	: 0	Unladen Wt (kgs)	: 122
Colour	: BLACK	Laden/GV Wt (kgs)	: 252
Other Criteria		AC Fitted	: NO
Vehicle Purchase As	: Fully Built		

Additional Particulars of all transport vehicles other than motor cabs (Gross Vehicle Weight)

By Manuf : As Regd. :

Description	Weight(in kgs)
a) Front:	
b) Rear:	
c) Other:	
d) Tandem:	

The motor vehicle above described is subject to Hypothecation in favour of w.e.f. .

Purchase dt	: 28-Oct-2024	Sale Amt	: 81761/-
OTT Date	: 28-Oct-2024	Amount/Rcpt No	: 8177 / UP53D24100011501
Vehicle is Govt./ Pvt.	: PRIVATE	Tax Exempted or Not	: NOT EXEMPTED
Date of Approval	: 07-Dec-2024		

Other State/Transfer/Conversion/Reassign Details

Previous Owner	:	Previous RegNo	:
Old State	:	Entry Date	:
Transfer Date	:	Conversion Date	:

This certificate is valid from 31-Oct-2024 to 30-Oct-2039

Date : 21-Jan-2025 14:50:07

Taxation Particulars / Advance Registration Mark Fee Details

Signature of Registering Authori
Date : 21-Jan-202

Q 1518681

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग

Government of Uttar Pradesh Government of Uttar Pra
Government of Uttar Pradesh Government of Uttar Pra

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

अपील

देश के सामाजिक आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के साथ–साथ वाहनों की संख्या में भी अत्यधिक तेजी से वृद्धि होती आ रही है परन्तु सड़कों की संख्या एवं उनकी लम्बाई/चौड़ाई तथा गुणवत्ता आदि में एक सीमा तक सुधार हुआ है, जिससे सड़क परिवहनों की गति में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि/वाहनों की संख्या में वृद्धि आदि के कारण से लोगों की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। हम सब अवगत है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना वर्तमान में हमारे लिये चुनौती बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2021 में प्रदेश में लगभग 37729 दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 21227 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 24897 व्यक्ति घायल हो गए। इसी प्रकार अगस्त 2022 तक प्रदेश में लगभग 27871 दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 15213 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 19103 व्यक्ति घायल हुए।

मोटर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किये जाने और प्रभावी चेकिंग की कार्यवाही करने के साथ–साथ जनता का भी इसमें सहयोग आवश्यक है। हमें यातायात के नियमों को अपने जीवन का अंग बनाना है। यातायात के नियमों के पालन के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो जाने से सड़क दुर्घटनाओं पर एक प्रभावी अंकुश लग सकता है, क्योंकि आंकड़े बताते है कि तीन चौथाई से अधिक दुर्घटना मानवीय भूल के कारण होती है। इस प्रकार यातायात नियमों का पालन कर हम दुर्घटनाओं पर एक सीमा तक नियंत्रण लगाने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं।

अब आप सबसे विभाग की अपील है कि–

अवशय करें
1. दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें।
2. कार चलाते समय सीट--बेल्ट अवश्य लगाएं।
3. चौराहे पर लाईट रेड होने पर आगे न बढ़े।
4. वाहन चलाते समय पैदल चलने वालों तथा सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं का ध्यान रखें।
5. सड़क संकेतों/चिन्हों का हमेशा पालन करें।

कभी न करें
1. ड्राईविंग लाईसेंस तथा गाड़ी के अन्य प्रपत्र के बिना गाड़ी न चलाएं।
2. वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात न करें।
3. गलत ढंग से वाहन ओवरटेक न करें।
4. खतरनाक ढंग/गति से गाड़ी न चलाएं।
5. शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।

1. **परिवहन विभाग का पोर्टल** (www.uptransport.upsdc.gov.in)
2. **परिवहन विभाग की हेल्पलाइन का टोल–फ्री नम्बर 1800–1800–151**

परिवहन विभाग द्वारा जनहित में जारी